

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा-प्रारं/साप्र/बी/ 2611/मूल/21 दिनांक 30-3-2022 द्वारा पत्रांक शिविरा-प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/21 दिनांक 23-3-2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्तावों हेतु इस कार्यालय को प्रेषित अनुमोदित सूची का राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5 (51) कार्मिक/ क-2/88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे अंकित सूची अनुसार कुल 87 अभ्यर्थियों का कनिष्ठ सहायक पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया जाकर अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जाँच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जाँच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जाँच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक-29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
12. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ ए-11/ 2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017

- व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिधीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
 14. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
 15. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
 16. मृतक प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है अतः प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर ही दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेंगे।
 17. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
 18. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5 (51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
 19. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
 20. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।
 21. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावें।
 22. जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
 23. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के संदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम-5 का जिशिअ का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम-5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के संदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो आवेदक के आश्रितों के संबंध में नियम-5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिशिअ का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।
 24. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी

कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियों उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(स्थिर पारिश्रमिक 14,600/- रूपये मासिक)

क्र. सं.	आवेदक का नाम	जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन दिनांक	मृतक का नाम व पदनाम	जिले का नाम	विभाग	आवंटित जिला
1	सौरभ शर्मा	24-01-93	पुत्र	07-06-21	लाल चन्द शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक	अजमेर	प्राशि	अजमेर
2	मनीष कुमार डीडवारिया	15-04-01	पुत्र	25-11-20	ओमप्रकाश डीडवारिया, शारीरिक शिक्षक	अजमेर	प्राशि	अजमेर
3	सुनील कुम्हार	06-07-97	पुत्र	16-03-21	सूजाराम कुम्हार, सहायक कर्मचारी	अजमेर	प्राशि	अजमेर
4	अशोक कुमार	05-05-93	पुत्र	08-09-21	रूपाराम प्रजापत, वरिष्ठ अध्यापक	नागौर	प्राशि	अजमेर
5	अंजू शर्मा	05-08-93	पत्नी	29-01-21	रविन्द्र कुमार शर्मा, अध्यापक	नागौर	पंराज	सीकर
6	जयसिंह शेखावत	28-12-90	पुत्र	15-07-21	बजरंग सिंह, वरिष्ठ अध्यापक	नागौर	प्राशि	अजमेर
7	ममता मीना	01-01-01	पत्नी	21-06-21	नोरतन मीना अध्यापक	टोंक	पंराज	टोंक
8	अंशुल शर्मा	17-06-98	पुत्र	28-06-21	रम बाबू शर्मा, प्रबोधक	टोंक	पंराज	जयपुर
9	रौनक नामा	02-03-03	पुत्री	28-01-20	निर्मला नामा, अध्यापक	टोंक	प्राशि	टोंक
10	शाविर खान	25-04-2000	पुत्र	26-06-20	मुन्ना खान, वरिष्ठ अध्यापक	टोंक	प्राशि	टोंक
11	अखिलेश वैष्णव	13-07-94	पुत्र	20-09-21	रघुवीर दास वैरागी, अध्यापक	टोंक	प्राशि	टोंक
12	अशोक कुमार चौधरी	28-08-91	पुत्र	09-11-21	भंवरलाल जाट, शारीरिक शिक्षक	भीलवाड़ा	प्राशि	भीलवाड़ा
13	सुनील मेवाड़ा	10-02-94	पुत्र	16-06-21	गणेश लाल कलाल, शारीरिक शिक्षक	भीलवाड़ा	प्राशि	भीलवाड़ा
14	उदयशंकर रेगर	15-07-98	पुत्र	26-05-21	नाथूलाल रेगर, प्रबोधक	भीलवाड़ा	पंराज	भीलवाड़ा
15	हितेश सुखवाल	30-12-91	पुत्र	13-02-21	लोकेश कुमार सुखवाल, प्रबोधक	भीलवाड़ा	पंराज	भीलवाड़ा
16	जय प्रकाश पटवा	06-12-88	पुत्र	20-12-21	प्रभुदयाल पटवा, जमादार	सीकर	प्राशि	झुंझुनू
17	अजय कुमार	21-01-97	पुत्र	20-08-20	नरेश कुमार साहसी, सहायक कर्मचारी	सीकर	प्राशि	झुंझुनू
18	अंजू कुमारी	15-08-90	पत्नी	15-11-21	अजयराज विश्णोई, प्रबोधक	बीकानेर	पंराज	श्रीगंगानगर
19	अशोक कुमार जाट	07-04-92	पुत्र	11-11-21	राधाराम जाट, अध्यापक	बीकानेर	पंराज	चुरू
20	करणीदान चारण	27-10-02	पुत्र	19-11-20	मदन सिंह बारठ, अध्यापक	बीकानेर	पंराज	चुरू
21	कपिल कुमार खत्री	20-01-89	पुत्र	01-06-21	गोपीकिशन खत्री, वरिष्ठ अध्यापक	बीकानेर	प्राशि	श्रीगंगानगर

(Handwritten Signature)

22	अमित पुरी	02-07-89	पुत्र	08-07-21	ओमप्रकाश, शारीरिक शिक्षक	श्रीगंगानगर	प्राशि	श्रीगंगानगर
23	अनिल कुमार	12-08-96	पुत्र	28-10-14	जगदीश प्रसाद, अध्यापक	श्रीगंगानगर	पंराज	श्रीगंगानगर
24	सुनीता	12-01-94	पत्नी	04-05-21	सत्यपाल, अध्यापक	हनुमानगढ़	प्राशि	हनुमानगढ़
25	प्रमोद कुमार	28-09-88	पुत्र	05-04-21	सुरेन्द्र सिंह ढाका, वरिष्ठ अध्यापक	हनुमानगढ़	प्राशि	हनुमानगढ़
26	भूपेन्द्र राजपुरोहित	19-05-03	पुत्र	25-01-21	बाबूलाल राजपुरोहित, प्रबोधक	जोधपुर	पंराज	पाली
27	राकेश कुमार	05-07-97	पुत्र	16-04-21	महेन्द्र सिंह, प्रबोधक	जोधपुर	पंराज	पाली
28	गौरव सिंह चारण	12-04-97	पुत्र	03-08-21	श्याम सिंह, प्रबोधक	जोधपुर	पंराज	पाली
29	अचलाराम सैनी	26-06-90	पुत्र	08-02-21	बक्साराम, प्रबोधक	जोधपुर	पंराज	पाली
30	श्रीराम विश्‍नोई	07-01-96	पुत्र	19-09-18	गोविन्द राम विश्‍नोई, शारीरिक शिक्षक	जोधपुर	प्राशि	पाली
31	नर सिंह	12-08-95	पुत्र	23-06-21	वागाराम पटेल, प्रबोधक	जोधपुर	पंराज	पाली
32	अक्षय त्रिवेदी	27-04-89	पुत्र	28-01-21	सबर कौर त्रिवेदी, अध्यापिका	जोधपुर	प्राशि	पाली
33	विनय चौधरी	27-09-03	पुत्र	09-11-21	हरीश चौधरी, अध्यापक	जोधपुर	प्राशि	पाली
34	महेन्द्र	03-05-99	पुत्र	02-02-21	सुखाराम, प्रबोधक	जोधपुर	पंराज	पाली
35	कीर्ति महाजन	01-06-03	पुत्री	24-06-21	महेन्द्र प्रकाश महाजन, वरिष्ठ अध्यापक	जोधपुर	प्राशि	पाली
36	फूल सिंह	10-12-97	पुत्र	21-11-16	सतीदान सिंह, अध्यापक	जैसलमेर	पंराज	जैसलमेर
37	जितेन्द्र कुमार	01-02-96	पुत्र	04-03-20	जैलाराम, अध्यापक	जैसलमेर	पंराज	जैसलमेर
38	पल्लव शर्मा	20-07-95	पुत्र	26-05-17	साधना शर्मा, अध्यापिका	कोटा	प्राशि	कोटा
39	ईन्द्राराम	10-05-95	पुत्र	25-10-21	सेतूराम, च.श्रे.क.	जैसलमेर	प्राशि	जैसलमेर
40	शक्ति सिंह	15-07-97	पुत्र	09-01-14	महेन्द्र सिंह, प्रबोधक	बाड़मेर	पंराज	बाड़मेर
41	प्रमीला विश्‍नोई	12-01-91	पुत्री	02-02-21	भागीरथ गोदारा, वरिष्ठ अध्यापक	बाड़मेर	प्राशि	बाड़मेर
42	रमेश कुमार	15-08-99	पुत्र	19-11-19	मानाराम विश्‍नोई, अध्यापक	बाड़मेर	पंराज	बाड़मेर
43	गोविन्द	01-04-97	पुत्र	22-07-20	भंवरलाल, प्रबोधक	बाड़मेर	पंराज	बाड़मेर
44	गजेन्द्र सिंह गुर्जर	06-08-96	पुत्र	15-04-21	सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, सहायक कर्मचारी	भरतपुर	प्राशि	भरतपुर
45	लोकेश कुमार	18-03-96	पुत्र	09-02-21	धर्मसिंह जाटव, प्रबोधक	करौली	पंराज	करौली
46	निर्भय सिंह माली	17-08-91	पुत्र	06-03-21	रतन सिंह, प्रबोधक	करौली	पंराज	करौली
47	विक्रम कुमार मीना	26-07-99	पुत्र	18-12-20	प्रहलाद कुमार मीना, अध्यापक	करौली	पंराज	करौली

30/11

48	सुमित कुमार यादव	16-09-03	पुत्र	02-03-20	गिरीश कुमार यादव, सहायक कर्मचारी	धौलपुर	प्राशि	धौलपुर
49	देवी सिंह कश्यप	05-03-99	पुत्र	05-02-19	सन्त कुमार, अध्यापक	धौलपुर	पंराज	धौलपुर
50	मयंक तिवारी	12-02-90	पुत्र	21-12-20	राजेश शर्मा, अध्यापिका	कोटा	प्राशि	कोटा
51	जितेन्द्र कुमार	20-01-83	पति	01-09-21	अर्पिता सेनी, अध्यापिका	कोटा	प्राशि	अजमेर
52	सर्वप्रीत सिंह	26-08-89	पुत्र	04-06-21	तलविन्दर कौर, अध्यापिका	कोटा	प्राशि	कोटा
53	चन्द्रा मेहता	04-04-98	पुत्री	28-01-21	पपू लाल मेहता, अध्यापक	बारां	पंराज	बारां
54	अनिता जोशी	24-08-84	पत्नी	25-06-21	योगेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यापक	बारां	पंराज	कोटा
55	नितेश नागर	10-10-95	पुत्र	12-06-21	ओमप्रकाश नागर, अध्यापक	बारां	पंराज	बारां
56	हेमराज मेहता	01-01-92	पुत्र	22-06-21	रामदयाल सुजानियां, अध्यापक	बारां	पंराज	बारां
57	साहिल पठान	12-08-2000	पुत्र	26-11-20	अब्दुल शकील प्रबोधक	बारां	पंराज	बारां
58	अनिता व्यास	12-04-80	पत्नी	03-05-21	बृजबिहारी पंचोली, अध्यापक	झालावाड़	पंराज	झालावाड़
59	पुनम दोलीया	30-05-83	पत्नी	06-04-21	इन्दरराज सेगर, अध्यापक	जयपुर	प्राशि	जयपुर
60	शिवराज सिंह खंगारोत	18-11-93	पुत्र	26-11-20	शकर सिंह, अध्यापक	जयपुर	पंराज	जयपुर
61	यादवेन्द्र मीना	07-07-99	पुत्र	25-05-21	गोपीकृष्ण मीना, अध्यापक	जयपुर	प्राशि	जयपुर
62	फैसल खान	05-05-89	पुत्र	03-07-21	रफीउद्दीन खान, प्रबोधक	जयपुर	पंराज	जयपुर
63	निखिल शर्मा	09-09-97	पुत्र	10-06-21	मंजू शर्मा, प्रबोधक	जयपुर	प्राशि	जयपुर
64	कृष्णा कुमार	02-02-94	पुत्र	25-09-19	राजेश कुमार शर्मा, स.क.	अलवर	प्राशि	अलवर
65	गोरव यादव	20-07-91	पुत्र	02-09-20	बाबूलाल यादव, प्रबोधक	अलवर	पंराज	अलवर
66	विनोद कुमार सेनी	28-08-91	पुत्र	19-11-20	नारायण लाल सेनी, अध्यापक	दौसा	पंराज	दौसा
67	साक्षी बंगा	12-05-98	पुत्री	10-05-20	वंदना शुक्ला, प्रबोधक	दौसा	पंराज	जयपुर
68	अरुण कुमार शर्मा	24-12-01	पुत्र	23-02-21	मक्खन लाल शर्मा, प्रबोधक	दौसा	पंराज	दौसा
69	मौ. ताज रंगरेज	03-01-92	पुत्र	10-03-21	युसूफ खॉं, प्रबोधक	दौसा	पंराज	दौसा
70	जय सिंह गुर्जर	03-05-02	पुत्र	28-01-19	कमल सिंह गुर्जर, प्रबोधक	दौसा	पंराज	दौसा
71	जसवन्त कुमार बंशीवाल	15-09-94	पुत्र	08-07-21	पपुलाल बैरवा, वरिष्ठ अध्यापक	दौसा	प्राशि	दौसा

72	सम्पत परिहार	01-05-92	पुत्र	21-12-20	बालकृष्ण परिहार, वरिष्ठ अध्यापक	पाली	प्राशि	पाली
73	सुनीता टाक	11-10-2000	पुत्री	26-06-21	देवेन्द्र कुमार, अध्यापक	पाली	प्राशि	पाली
74	पंकज शर्मा	02-02-83	पति	15-07-21	प्रीति तिवारी, अध्यापक	पाली	प्राशि	भीलवाड़ा
75	सरवर खान	14-06-94	पुत्र	07-06-21	उस्मान खॉं, शारिरीक शिक्षक	पाली	प्राशि	पाली
76	धीरज चौहान	15-02-98	पुत्र	12-02-21	मांगीलाल माली, वरिष्ठ अध्यापक	पाली	प्राशि	पाली
77	मेहुल सोनी	03-06-98	पुत्र	01-09-21	मीना सोनी, अध्यापक	पाली	पंराज	पाली
78	अशोक कुमार	05-11-94	पुत्र	29-12-20	तेजाराम, अध्यापक	पाली	प्राशि	पाली
79	सुनील राम बोहरा	01-07-98	पुत्र	28-07-21	हापुराम बोहरा, वरिष्ठ अध्यापक	पाली	प्राशि	पाली
80	दिनेश कुमार विश्नोई	12-12-95	पुत्र	05-01-21	कालूराम विश्नोई, वरिष्ठ अध्यापक	जालौर	प्राशि	जालौर
81	असलम खॉं	16-08-94	पुत्र	25-07-21	इन्तीयाज अली, वरिष्ठ अध्यापक	जालौर	प्राशि	जालौर
82	रणजीत कुमार	03-07-94	पुत्र	15-02-21	हापुराम, वरिष्ठ अध्यापक	जालौर	प्राशि	जालौर
83	शिव प्रकाश	04-01-75	पति	03-04-21	अनिता हरमोर, अध्यापिका	बाँसवाड़ा	पंराज	बाँसवाड़ा
84	नवीन जोशी	07-10-96	पुत्र	26-05-21	सरोज भट्ट, वरिष्ठ अध्यापक	राजसमन्द	प्राशि	राजसमन्द
85	मुकेश कुमार खटीक	12-03-83	पुत्र	27-07-19	केशवकांत वीरवाल, अध्यापक	राजसमन्द	प्राशि	राजसमन्द
86	पीयूष कुमार मीणा	13-06-2000	पुत्र	20-12-19	रतनलाल मीणा, अध्यापक	प्रतापगढ़	प्राशि	प्रतापगढ़
87	दीपक बारठ	11.07.93	पुत्र	14.07.20	कालूराम बारठ, प्रबोधक	चित्तौड़गढ़	पंराज	चित्तौड़गढ़

नोट:-क्रम संख्या 10, 20, 30, 36, 37, 38, 42, 47, 49, 50, 53, 58, 65, 68, 78, 83, 85 एवं 86 पर अंकित प्रकरणों में शासन से शिथिलन प्राप्त है। सत्यमव जयत

(गौरव अग्रवाल)

I.A.S.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक : 09-05-2022

क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/ए-4/3901/नियुक्तिमूल/प्राशि/2022/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर

6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को देकर अनुरोध है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के मूल प्रकरण नाम के समक्ष अंकित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को उपलब्ध करावें।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
8. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए रिक्त पद के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें।
9. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक)
10. अनुभागाधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग
11. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

